

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क0 762/आर-354/2021/ब-1/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2021

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट आवंटन, व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के संबंध में दिशा-निर्देश।


संदर्भ :- 1. इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 350/आर .22/2021/ब-1/चार दिनांक 31 मार्च 2021
2. इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 654/आर-354/2021/ब-1/चार दिनांक 28 जुलाई 2021

..000..

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु पूंजीगत कार्यों के लिए संदर्भित पत्र की कंडिका (II) व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत बिन्दु कं0-4 की उपकंडिका 4.2 में विशेष व्यय सीमा परिशिष्ट-2 अनुसार निर्धारित की गई है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि माह- अगस्त 2021 के लिए परिशिष्ट-2"बी" अनुसार अतिरिक्त विशेष मासिक पूंजीगत व्यय सीमा निर्धारित की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(भास्कर लक्ष्मीकार)
संचालक, बजट

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2021

क्रमांक 763/आर-354/2021/ब-1/चार

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) - प्रथम/द्वितीय, ग्वालियर/भोपाल।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, पर्यावास भवन, भोपाल।
3. संचालनालय, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।


उप सचिव

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट-2 "बी"

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अगस्त माह के लिए अतिरिक्त विशेष मासिक व्यय सीमा (पूँजीगत)

(राशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	विभाग	मांग एवं मुख्य शीर्ष	अगस्त 2021	रिमार्क
1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	30 - 4515	100	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (7467) हेतु

Author